गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर ।

ई–नीलामी की सूचना

"एक जनपद एक उत्पाद" को प्रोत्साहन देने हेतु रामगढ़ताल परियोजना स्थित (मोहद्दीपुर आर0के0बी0के0 के बगल में) 02 कियास्क को ई–नीलामी के माध्यम से मासिक किराये पर आवंटन हेतु दिनांक 27/03/2025 से दिनांक 07/04/2025 तक पंजीकरण खोला जा रहा है, जिसकी ई–नीलामी दिनांक 10/04/2025 को सम्पन्न होगी। कियास्क सं0–01 मिट्टी के बर्तन (टेराकोटा) उत्पाद के बिक्री हेतु तथा कियास्क सं0–02 मिट्टी के बर्तन (टेराकोटा) उत्पाद को बनाने वाले के लिए आरक्षित है। ई–नीलामी से सम्बन्धित नियम, शर्ते व अन्य विवरण प्राधिकरण की वेबसाइट **www.gdagkp.in** पर उपलब्ध है । सभी बोलीदाता नियमित रूप से वेबसाइट में ई–नीलामी देखते रहे, अलग से किसी प्रकार के परिवर्तन, संशोधन की जानकारी अन्य माध्यम से नही दी जायेगी। कियास्कों का आवंटन एन0जी0टी0 के निर्णय के अधीन की जायेगी।

22/3/25

(यू0पी0 सिंह)
पी0सी0एस0
सचिव

23/3

(आनन्द वर्द्धन)
आई0ए0एस0
उपाध्यक्ष

''एक जनपद एक उत्पाद'' को प्रोत्साहन देने हेतु मिट्टी के बर्तन (टेराकोटा) उत्पाद की बिक्री के लिए रामगढ़ताल परियोजना स्थित (मोहद्दीपुर आर0के0बी0के0 के बगल में) 02 कियास्कों को ई–नीलामी के माध्यम से किराये पर आवंटन हेतु समान्य नियम एवं शर्ते निम्नवत है :–

1– कियास्क का आवंटन ई–नीलामी के माध्यम से 05 वर्षो के लिए किराये पर किया जायेगा।

2– आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। शैक्षिक योग्यता की बाध्यता नही है।

3– आवेदक या इकाई किसी भी राष्ट्रीकृत बैंक/वित्तीय संस्था/सरकारी संस्था इत्यादि का चूककर्ता नही होना चाहिए।

4– आवेदक द्वारा भारत सरकार अथवा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य स्वरोजगार योजना का पूर्व में लाभ प्राप्त न किया हो।

5– ''एक जनपद एक उत्पाद'' को प्रोत्साहन देने हेतु मिट्टी के बर्तन (टेराकोटा) उत्पाद की बिक्री के लिए कियास्क सं0–01 क्षेत्रफल 14.92 वर्ग मीटर एवं मिट्टी के बर्तन (टेराकोटा) उत्पाद को बनाने वाले के लिए कियास्क सं0–2 क्षेत्रफल 4.39 वर्ग मीटर का किराया पद्धति पर आवंटन किया जायेगा। अन्य किसी प्रकार के व्यापार अनुमन्य नही होगे तथा निर्धारित प्रयोजन के अतिरिक्त कियास्क का अन्य कोई उपयोग किये जाने पर आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।

6– कियास्क सं0–01 के लिए जमानत धनराशि रू0–1,06,000.00 एवं कियास्क सं0–02 के लिए जमानत धनराशि रू0–42,500.00 आवेदक को ई–नीलामी में भाग लेने के लिए जमा करना होगा।

7– कियास्क सं0–01 का न्यूनतम किराया प्रतिमाह रू0–16,189.00 एवं कियास्क सं0–02 का न्यूनतम किराया प्रतिमाह रू0–4,765.00 है।

8– परिवार का कोई एक सदस्य ही नियमानुसार ई–नीलामी में भाग ले सकेगा।

9– निविदा की बोली में प्रतिस्पर्धात्मक दर निर्धारित करने तथा कम दर प्राप्त होने पर निविदा की बोली को निरस्त करने का अधिकार उपाध्यक्ष, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर में निहित होगा।

10– कियास्क का आवंटन नियमानुसार उच्चतम बोलीदाता के पक्ष में किया जायेगा।

11– ई–नीलामी में उच्चतम बोली बोलने के पश्चात् वांछित धनराशि जमा न किये जाने पर सम्पूर्ण जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी ।

12– कियास्क का किराया विलम्ब से जमा करने पर 15 प्रतिशत की दर से दण्ड ब्याज देय होगा।

13– निरन्तर 04 माह तक किराये की धनराशि जमा न करने पर जमा जमानत धनराशि को जब्त कर कियास्क का आवंटन उपाध्यक्ष, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा।

14– कियास्क के 06 माह का किराया एवं जी0एस0टी0 अग्रिम के रूप में जमा करना होगा, जिसपर कोई ब्याज देय नही होगा।

15– कियास्क के 06 माह का किराया अग्रिम के रूप में जमा करके पंजीकृत इकरारनामा निष्पादित कराने के पश्चात् ही कब्जा दिया जायेगा।

16– नीलामी में असफल आवेदकों को उनके द्वारा जमा जमानत धनराशि में से प्रशासनिक व्यय रू0–1000.00 मात्र की कटौती करते हुए वापस कर दी जायेगी, जिसपर कोई ब्याज देय नही होगा।

17– कियास्कों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन आदि किया जाना पूर्णतः वर्जित होगा तथा कियास्कों का विभाजन करना भी अनियमित माना जायेगा। ऐसा करने पर आवंटी द्वारा जमा सम्पूर्ण धनराशि जब्त करते हुए कियास्क का आवंटन उपाध्यक्ष, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा।

18– किसी भी शासकीय कर/जी0एस0टी0 आदि के भुगतान का दायित्व आवंटी का होगा।

19– कियास्क में विद्युत एवंज ल कनेक्शन लेने तथा कियास्क व उसके आस–पास साफ–सफाई रखने का दायित्व आवंटी का होगा ।

20– कियास्कों का आवंटन एन0जी0टी0 के निर्णय के अधीन की जायेगी।

''एक जनपद एक उत्पाद'' को प्रोत्साहन देने हेतु रामगढ़ताल परियोजना स्थित (मोहद्दीपुर आर0के0बी0के0 के बगल में) 02 कियास्क को ई–नीलामी के माध्यम से किराये पर प्राप्त करने का स्वर्णिम अवसर।

सम्पत्ति का विवरण :–

योजना का नाम	सम्पत्ति का प्रकार	प्रति कियास्क का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	न्यूनतम आरंक्षित किराया प्रतिमाह (रूपये में)	जमानत धनराशि (रूपये में)	कियास्क का प्रयोग
रामगढ़ताल परियोजना स्थित (मोहद्दीपुर आर0के0बी0के0 के बगल में)	कियास्क संख्या–01	14.92	16,189.00	1,06,000.00	मिट्टी के बर्तन (टेराकोटा) उत्पाद के बिक्री हेतु।
	कियास्क संख्या–02	4.39	4,765.00	42,500.00	मिट्टी के बर्तन (टेराकोटा) उत्पाद को बनाने वाले के लिए।